संख्या-22/2018/583/94-स्टा०नि०-2-2018-700(03)/2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2018**

विषय- भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-939/स्टाम्प-विविध 25/2018 दिनांक 14.05.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में शहीद सैनिकों विधिक आश्रितों के पक्ष में रू0 20 लाख तक मूल्य तक की सम्पत्तियों के हस्तांतरण विलेखों एवं पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या-25/2016/888/94-स्टा0नि0-2-2016-500(64)/80 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई थी। इस अधिसूचना में भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिकों बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने तथा यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रू0 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होने तथा सम्पत्ति मूल्यांकन रू0 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रू0 20 से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य देय होने का प्राविधान है।

3. शासन के संज्ञान में यह आया है कि आवास विकास एंव विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भवनों/भूखण्डों के आवंटन में पति-पत्नी को एक यूनिट माना गया है तथा भवन की रजिस्ट्री सयुंक्त नाम से होती है तो भवनों/भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने पर आवंटियों को उक्त अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 के अन्तर्गत सम्पत्ति के प्रथम रू0 20 लाख तक के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क की छूट अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आवंटियों को अनुमन्य छूट का लाभ एकल नाम से ही मिल पा रहा है।

अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 में सम्बन्धित विलेखों में भूतपूर्व सैनिकों अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के पक्ष में एकल नाम से अंतरण किये जाने की कोई अनिवार्य शर्त विहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं है, अर्थात यह अधिसूचना उस दशा में भी लागू होनी चाहिए जबकि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेख में संयुक्त अंतरिती हों।

4. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरिती के रूप में हिस्सा रू0 20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हे छूट का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2018/583(1)/94-स्टा०नि०-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।